न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
न्याय आपके द्वार कैम्प कितपाला

मुकदमा नंबर 507 /2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार,पचपदरा		1. मदनसिंह प्रेमसिंह हुकमसिंह जितेन्द्रसिंह पुत्र भवंरसिंह, माडूदेवी पत्नि भंवरसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :– 07.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कितपाला में पेश हुई । प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम **रिकरलाई** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे। राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **रिकरलाई** के ख0न0 कमशः 489/322, 324, 323, 487/322, 331, 509/330, 510/330, 511/330 512/330 रकबा कमश 0.05, 1.01, 0.12, 0.03, 0.17, 0.15, 0.12, 0.08, 0.14, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, जिसकी पालना में विप्रार्थीगण के द्वारा जबाब पेश किया गया एवं बाद में विप्रार्थीगणों द्वारा समझौता पत्र पेश किया गया । जिसमें विप्रार्थीगणों द्वारा उक्त रास्ते पर ग्रेवल आदि डालने बाबत सहगति दी गयी ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......कितपाला

Scanned by CamScanner

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का मौजा **रिकरलाई** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी, बिन्दु तक ख0न0 क्रमश ख0न0 क्रमशः 489/322, 324, 323, 487/322, 331, 509/330, 510/330, 511/330 512/330 रकबा क्रमश 0.05, 1.01, 0.12, 0.03, 0.17, 0.15, 0.12, 0.08, 0.14,बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना **रिकरलाई** में अवस्थित ख0न0 क्रमशः ख0न0 क्रमशः 489/322, 324, 323, 487/322, 331, 509/330, 510/330, 511/330 512/330 रकबा क्रमश 0.05, 1.01, 0.12, 0.03, 0.17, 0.15, 0.12, 0.08, 0.14, बीघा के बिन्दु 'अ' से 'ब' बिन्दु तक में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'अ' से 'ब' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आजं दिनांक को 07.06.2018 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....

Scanned by CamScanner